



पता- कोबिया चौक, रायपुर रोड बेमेतरा,

Mob. No. 9479278372

कार्यालय अधीक्षक/नोडल अधिकारी
स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर
नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बेमेतरा
जिला - बेमेतरा (छ.ग.) 491335



Email-itibmtr@rediffmail.com

क्रमांक-औप्रसं/बेमे/स्थाप/मेह.प्रव./ भर्ती /2025 /

854

/...../ दिनांक...17/9/2025

// विज्ञप्ति //

इस नोडल संस्था के अंतर्गत आने वाले विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण सत्र 2025-26 के लिए व्यवसाय विद्युत्कार, कोपा, वर्कशाप केलकुलेशन एंड इंजिनियरिंग ड्राईंग, एवं स्युविंग टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु संबंधित व्यवसाय/विषय के प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2025 समय 05:00 PM तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.) में आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.) में निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। विज्ञापन का विवरण इस संस्था के सूचना पटल पर देखा जा सकता है तथा आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्यालय प्राचार्य/ प्रशिक्षण अधीक्षक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.) से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिला की वेबसाइट <https://bemetera.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा
जिला. बेमेतरा (छ.ग.)



Industrial Training Institute

पता- कोबिया चौक, रायपुर रोड बेमेतरा,

कार्यालय अधीक्षक/ नोडल अधिकारी
स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बेमेतरा
जिला - बेमेतरा (छ.ग.) 491335

परिशिष्ट ब



Email-itibmtr@rediffmail.com

Mob. No. 9479278372

क्रमांक-औप्रसं/बेमे/स्थाप/मेह.प्रव./भर्ती/2025/ 854 /...../दिनांक.....17/9/2025

// विज्ञापन //

संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु अद्यतन जारी आदेश/ निर्देशानुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बेमेतरा के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला- बेमेतरा में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध विभिन्न व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2025 - 2026 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 03.10.2025 को समय 05:00 PM बजे तक है। आवेदकों द्वारा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्राप्त आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त/जमा आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

संस्थावार/व्यवसायवार/विषयवार मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु रिक्त पदों की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है:-

1. रिक्त पदों की जानकारी:-

सरल क्रमांक	व्यवसाय/विषय का नाम	औप्रसं नवागढ़	औप्रसं बेरला	औप्रसं मारो	औप्रसं परपोडी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	विद्युतकार	1	1	—	1	3
2	कोपा	—	—	01	—	1
3	वर्कशाप कल्कुलेशन एंड इंजिनियरिंग ड्राईंग	—	1	—	1	2
4	स्युविंग टेक्नोलॉजी	—	—	—	1	1
	योग	1	2	1	3	7

Ash



2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

स. कं.	व्यवसाय/विशय का नाम	शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	2	6
01	विद्युतकार	- मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। - अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। - ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट.उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
02	कोपा	- मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। - अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डीओई (डीओईएसीसी) से "ए" स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए.। - ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट.उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
03	वर्कशॉप कैल्कुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग	- मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। - अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय वसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। - ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट.उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
04	स्युविंग टेक्नोलॉजी	- मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। - अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कस्टम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग/गारमेंट टेक्नालाजी इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण। - ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट.उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

Asu

अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिये संबंधित व्यवसाय/विषय में एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. (CITS/NCIC) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा।
2. एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. (CITS/NCIC) प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही, उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.व्ही.) का वैद्य (परमानेंट) लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र वैद्य (परमानेंट) लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह संस्था द्वारा निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा।
5. किसी व्यवसाय में विज्ञापित पदों की संख्या के अतिरिक्त मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिए जिले के नोडल प्राचार्य निर्णय ले सकेंगे। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो अन्य जिले के प्रतीक्षा सूची से पूर्ति करने के लिए क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
6. व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) के लिये प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति की योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकेंगे। इन व्यवसायों हेतु प्राप्त पात्र आवेदकों की शीघ्रलेखन दक्षता परीक्षा ली जाकर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
7. इसी प्रकार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।

04 नियम एवं शर्त :-

1. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालय प्राचार्य/नोडल अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है या जिला की वेबसाइट <https://bemetera.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुवाच्यरूप से बिना कांट-छांट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य/नोडल अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिला बेमेतरा (छ.ग.) पिन कोड 491335 (पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित) केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही प्रेषित किया जाना है। आवेदक द्वारा लिफाफे के ऊपर व्यवसाय/विषय का नाम (जिस व्यवसाय/विषय हेतु आवेदन किया जा रहा है) एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) लिखना अनिवार्य है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली-भांति पढ़कर पूर्ण रूप से आवेदन भरकर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही प्रेषित/जमा करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक नोडल शासकीय आई.टी.आई. बेमेतरा के कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से प्राप्त आवेदनों पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
4. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।

Ash

5. आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. निवास प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)
6. संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नया रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु अद्यतन जारी आदेश/निर्देशानुसार संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर मेरिट/चयन/प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। अनुभव आवश्यक नहीं है
7. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये संबंधित व्यवसाय/विषय में एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई, (CITS/ NCIC) प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जाएगी। CITS/NCIC उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर कार्यवाही की जाएगी।
8. राज्य व्यवसायिक परीक्षा (एससीव्हीटी) उत्तीर्ण आवेदकों को संबंधित व्यवसाय/विषय में राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र (एनएसी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) के लिये प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति की योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकेंगे। इन व्यवसायों हेतु प्राप्त पात्र आवेदकों की शीघ्रलेखन दक्षता परीक्षा ली जाकर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
10. इसी प्रकार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिये प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।
11. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
12. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित आवेदन नियत तिथि एवं समय के पश्चात/विलंब से प्राप्त होने पर संस्था जवाबदार नहीं होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं वे स्वमेव ही निरस्त हो जाएंगे।
13. आवेदक, एक से अधिक पदों एक से अधिक संस्थाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें इस हेतु पृथक-पृथक संस्थाओं/व्यवसायों/विषयों के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
14. आवेदित पद हेतु अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। (उनकी अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
15. चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय/विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी। चयन सूची नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा जिला. बेमेतरा (छ.ग.) के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी।
16. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मेरिट सूचियों का अनुमोदन पश्चात ही नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन में उल्लेखित मोबाईल/दूरभाष नं. पर ही

Ash



दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। उन्हें दूरभाष पर ही आमंत्रण स्वीकार करना होगा, उन्हें किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावेगा ना ही दिया जावेगा।

17. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी।
18. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी।
19. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 140 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे के मानदेय का प्रावधान है एवं प्रति माह अधिकतम रुपये 15000 (अक्षरी पंद्रह हजार रुपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
20. आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं को किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
21. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का उसी समय उसका शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा।
22. चयन प्रक्रिया के पश्चात् मेहमान प्रवक्ता पद पर आमंत्रित आवेदक अपने कार्य पर उपस्थित होने पर आवेदन में दिये शपथ पत्र अनुसार 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
23. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उन्हें प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
24. मेरिट/चयन सूची अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जावेगा। किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जावेगा।
25. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा
जिला बेमेतरा (छ.ग.)